भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3415

उत्तर देने की तारीख 16 दिसंबर, 2024

सोमवार, 25 अग्रहायण 1946 (शक)

प्रशिक्षुता कार्यक्रम

3415. श्री राजकुमार चाहर:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी प्रशिक्षुता कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षो के दौरान प्रशिक्षुओं पर योजनावार कितना व्यय किया गया है;

(ख) क्या सरकार औद्योगिक कारखानों में दी जाने वाली आंतरिक प्रशिक्षुता को सर्वाधिक प्रभावी प्रशिक्षण पद्धति के रूप में मान्यता देती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा युवा कौशल उन्नयन के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) क्या इस अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुता 14 वर्ष की आयु में शुरू की जा सकती है जबकि रोजगार के लिए 18+ आयु की आवश्यकता होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस अंतर को किस प्रकार दूर करने की योजना बना रही है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 19 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) शुरू की। इस क्रम में, एनएपीएस को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक एनएपीएस-2 के रूप में विस्तारित किया गया है। इसी तरह, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग वर्ष 1973 से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना की समय-सीमा को इसकी शुरुआत से ही लगातार बढ़ाया जाता रहा है और सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए इसे आगे जारी रखने की मंजूरी दी है। इस प्रकार, भारत सरकार शिक्षु अधिनियम, 1961 और शिक्षुता नियम, 1992 के तत्वावधान में संचालित दो प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की शिक्षुता योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है।

उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) एनएटीएस के माध्यम से सभी स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को बिना किसी प्रासंगिक पूर्व कार्य अनुभव के 6 माह से एक वर्ष की अवधि के लिए शिक्षुता प्रदान करता है। एम एस डी ई शिक्षुओं की शेष श्रेणियों के लिए शिक्षुता कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को एमएसडीई की वैकल्पिक विधाओं के अंतर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण लेने की भी अनुमति दी जाती है।

दोनों योजनाएं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत वृत्तिका का सरकारी हिस्सा सीधे शिक्षुओं के बैंक खाते में भेजा जाता है। एनएपीएस के तहत वृत्तिका का सरकारी हिस्सा प्रति शिक्षु अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह है और एनएटीएस के तहत यह अधिकतम 4,500 रुपए प्रति शिक्षु प्रति माह है। प्रतिष्ठानों को शिक्षुओं को निर्धारित वृत्तिका की शेष राशि का भुगतान करना अनिवार्य है।

विगत पांच वर्षों में एनएपीएस और एनएटीएस के तहत शिक्षुओं की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में है और विगत पांच वर्षों के दौरान योजना-वार व्यय निम्नानुसार है:

वित्त-वर्ष	**एनएपीएस**	**एनएटीएस**
वित्त-वर्ष 19-20	47.27	167.05
वित्त-वर्ष 20-21	107.55	175.00
वित्त-वर्ष 21-22	239.50	96.75
वित्त-वर्ष 22-23	335.50	400.00
वित्त-वर्ष 23-24	632.82	460.00
सकल योग	**1362.64**	**1298.80**

(ख) शिक्षुता प्रशिक्षण, सैद्धांतिक शिक्षा को व्यावहारिक, कार्यरत प्रशिक्षण के साथ जोड़ता है। यह युवाओं को उद्योग-विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में सहायता करता है जो उन्हें नियोजनीय बनाता है, जिससे पारंपरिक और उभरते दोनों क्षेत्रों में उनके कैरियर की संभावनाएं बढ़ती हैं। शिक्षुताओं का मार्ग युवाओं के लिए वृत्तिका अर्जन करते हुए अनुभव प्राप्त करना संभव बनाता है, जिससे यह कई लोगों के लिए पारंपरिक शिक्षा का एक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

(ग) विभिन्न पहलें जो युवाओं के कौशलोन्नयन के लिए माध्यम प्रदान करती हैं:

• **प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना:** दो पोर्टल अर्थात् एनएपीएस के लिए www.apprenticeshipindia.gov.in और एनएटीएस के लिए https://nats.education.gov.in/ शिक्षुता प्रशिक्षण के प्रबंधन हेतु एक प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते हैं। यह पोर्टल शिक्षुओं और नियोजकों दोनों के पंजीकरण और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वृत्तिका के भुगतान सहित शिक्षुता प्रशिक्षण के अद्योपांत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है।

• **जागरूकता और क्षमता-निर्माण:** प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) एमएसडीई का एक मासिक कार्यक्रम है जिसे माननीय मंत्री (एमएसडीई) के निर्देशों के अनुसार शुरू किया गया है, और प्रत्येक राज्य के एक तिहाई जिलों में प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है । शिक्षुता मेला शिक्षुता अवसर के संबंध में उम्मीदवारों और प्रतिष्ठानों के बीच एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग

(डीएचई), शिक्षा मंत्रालय देश में शिक्षुता प्रशिक्षण का संवर्द्धन करने में सक्रिय रूप से शामिल है।

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि उच्च शिक्षा को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने में शिक्षुता की महत्वपूर्ण भूमिका है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी अधिनियम के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट सभी विषयों में "शिक्षुता निहित डिग्री कार्यक्रम चलाने हेतु उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देश" तैयार किए हैं।

- केंद्रीय बजट 2020-21 में शिक्षुता एम्बेडेड डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम की घोषणा के साथ, छात्रों की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), विस्तृत विचार-विमर्श और चर्चा के माध्यम से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों के नियामक प्राधिकरण ने कार्य एकीकृत तकनीकी डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी छात्रों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा हेतु शिक्षुता निहित डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम तैयार किया है। शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई और शिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी/बीओपीटी) ने सभी एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में एईडीपी को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।

(घ) और (ङ) देश में रोज़गार के लिए न्यूनतम आयु, कार्य के प्रकार और जोखिमभरा क्षेत्र सहित क्षेत्र विशेष के आधार पर भिन्न होती है। देश में अधिकांश क़ानून 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम में लगाने पर रोक लगाते हैं। शिक्षु अधिनियम, 1961 में अधिनियम की धारा (3) के तहत उपर्युक्त बातों पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया गया है। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति चौदह वर्ष से कम आयु का है तो उसे प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं माना जाएगा और जोखिमभरे उद्योगों से संबंधित शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शिक्षु के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, देश में शिक्षुता प्रशिक्षण 14-18 वर्ष की आयु के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संरचित है जो उद्योग की जरूरतों के अनुरूप है जो व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार के लिए तैयार करता है।

अनुबंध I

'प्रशिक्षुता कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 16.12.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3415 के भाग (क) के उत्तर के संदर्भ में।

विगत पांच वर्षों में, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत नियोजित प्रशिक्षुओं की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष-19-20	वित्त वर्ष-20-21	वित्त वर्ष-21-22	वित्त वर्ष – 22-23	वित्त वर्ष – 23-24
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	3	9	41	48
आंध्र प्रदेश	3,860	4,394	15,722	16,203	21,701
अरुणाचल प्रदेश	शून्य	3	18	42	65
असम	2,204	2,452	14,006	9,661	8,173
बिहार	1,155	1,237	6,476	5,543	5,317
चंडीगढ़	346	280	813	671	1,227
छत्तीसगढ	5,637	1,653	2,660	4,881	5,259
दिल्ली	4,937	7,784	17,799	15,818	15,956
गोवा	1,720	2,032	3,432	4,406	11,882
गुजरात	45,107	56,911	69,567	76,226	83,955
हरियाणा	18,920	31,853	42,343	62,865	66,720
हिमाचल प्रदेश	1,898	1,767	5,669	6,825	10,212
जम्मू और कश्मीर	304	260	832	989	859
झारखंड	2,133	5,034	8,258	9,152	11,882
कर्नाटक	13,764	17,276	42,084	58,523	78,456
केरल	3,899	6,426	8,975	11,275	13,104
लद्दाख	शून्य	6	18	28	66
लक्षद्वीप	शून्य	18	4	9	6
मध्य प्रदेश	6,942	9,522	17,093	21,205	22,707
महाराष्ट्र	36,617	71,475	1,46,865	1,85,999	2,63,245
मणिपुर	16	11	90	32	18
मेघालय	51	105	117	181	212
मिजोरम	4	1	4	4	12
नागालैंड	14	1	27	22	15
ओडिशा	3,391	3,681	8,296	10,458	10,755
पुदुचेरी	481	299	1,090	1,343	2,469
पंजाब	2,856	4,459	11,659	15,361	14,761
राजस्थान	4,073	6,417	9,473	15,204	18,230
सिक्किम	128	162	308	202	298
तमिलनाडु	13,602	24,912	49,929	72,311	1,01,553
तेलंगाना	9,654	13,996	38,454	31,821	37,774
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	97	597	1,282	1,006	2,878
त्रिपुरा	437	255	244	368	383
उत्तर प्रदेश	12,584	19,955	38,039	56,946	71,504
उत्तराखंड	2,489	4,360	9,986	16,436	21,058
पश्चिम बंगाल	6,149	7,370	18,791	26,109	29,538
सकल योग	**2,05,469**	**3,06,967**	**5,90,432**	**7,38,166**	**9,32,298**

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम (एनएटीएस) के अंतर्गत नियोजित प्रशिक्षुओं की राज्य-वार संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
अंडमान और निकोबार द्वीप	12	15	20	32	19
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	3,138	3,165	4,793	12,706	9,565
अरुणाचल प्रदेश	63	71	93	71	15
असम	858	738	1,279	1,967	1,380
बिहार	1,534	932	914	4,621	7,112
चंडीगढ़	55	46	49	270	800
छत्तीसगढ	501	1,656	1,050	2,535	847
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	140	110	119	186	215
दिल्ली	1,280	1,381	2,029	3,257	6,499
गोवा	455	342	529	766	798
गुजरात	4,893	3,888	4,824	8,278	9,516
हरियाणा	2,809	3,569	4,252	16,275	25,691
हिमाचल प्रदेश	334	385	527	486	1,106
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	19	29	158	272
झारखंड	7,115	5,187	2,800	3,751	3,387
कर्नाटक	5,928	4,112	6,402	10,314	11,113
केरल और लक्षद्वीप	3,290	2,361	2,555	8,145	8,478
मध्य प्रदेश	1,586	923	1,191	2,278	2,239
महाराष्ट्र	21,854	23,515	34,539	55,664	50,048
मणिपुर	20	30	33	29	3
मेघालय	25	22	31	29	67
मिजोरम	24	6	28	43	33
नागालैंड	1	2	3	4	10
ओडिशा	10,222	8,972	21,798	34,938	15,538
पुदुचेरी	107	186	304	718	422
पंजाब	495	328	390	480	2,614
राजस्थान	452	647	945	4,492	7,467
सिक्किम	212	239	475	405	601
तमिलनाडु	27,250	24,732	33,332	45,967	28,453
त्रिपुरा	30	45	120	189	141
उत्तर प्रदेश	4,284	3,410	6,734	16,846	11,587
उत्तराखंड	564	452	696	3,084	1,779
पश्चिम बंगाल	8,846	8,172	15,629	29,250	49,890
सकल योग	**1,08,402**	**99,658**	**1,48,512**	**2,68,234**	**2,57,705**

*****